अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 369/2012

तालेश्वर झा —— अपीलार्थी

वनाम

कुशेश्वर झा एवं अन्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांकः 14.08.2012 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 42/2012–13 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि पुराना खाता संख्याः 185, पुराना खेसरा सं० 1062, नया खाता सं० 438, नया खेसरा सं० 1560 कुल रकवा–26 डी० भूमि पुराने सर्वे खतियान में दरपलाल झा पिता–बस्ती झा वो अमीन झा पिता–शंतलाल झा वो मसो० चंदावती ओझा पति–शंतलाल झा के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी के पिता उपरोक्त वर्णित खतियानी रैयत के सेवक थे। खतियानी रैयत ने रकवा 8 डी० भूमि अपीलार्थी के पिता को आवासीय उद्देश्य हेतु दे दिया वो अपीलार्थी के पिता द्वारा खतियानी रैयत की अनुमति से उक्त वर्णित भूमि पर अपना मकान बनवाया गया। अपीलार्थी उसी मकान में तकरीबन 50 वर्षो से रह रहे हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रश्नगत विवादी भूमि पर स्वत्व एवं दखल मुताबिक हाल सर्वे खतियान में अपीलार्थी के पिता–नागेश्वर झा के नाम से खाता खुला वो 17 फरवरी 1977 को खतियान का अंतिम प्रकाशन हुआ। अतएव रिभिजनल सर्वे खतियान से यह साबित होगा कि वर्णित प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी के पिता एवं स्वयं अपीलार्थी वर्षः 1977 के पहले से ही दखलकार चले आ रहे हैं। रिभिजनल सर्वे खतियान को रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि बिहार सिरिस्ते में दखल के मुताबिक जमाबंदी संख्याः 438 अपीलार्थी/वादी के पिता के नाम से कायम हुआ वो अपीलार्थी/वादी के पिता तथा

अपीलार्थी/वादी नियमित रूप से मागुजारी का भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के पिता एवं अपीलार्थी/वादी वर्णित भूमि पर पिछले 12 वर्षो से लगातार दखलकार चले आ रहे हैं वो विवादी भूमि से रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी का कोई सरोकार नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि से अपीलार्थी/वादी को अवैधानिक रूप से जबरन बेदखल कर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप न्यायालय में वाद दाखिल किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब दाखिल किया गया जिसमें यह कथन किया गया कि विवादी पुराना खाता सं०–185, पुराना खेसरा सं०–1062, नया खेसरा सं०–1560 अंतर्गत रकवा–08 डी० भूमि पुराने सर्वे खतियान में नागेश्वर झा वो कपिलेश्वर झा पिता–कनक झा के नाम से दर्ज था वो रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी का विवादी भूमि में आधा हिस्सा है वो अपीलार्थी/वादी के पिता के नाम से हाल सर्वे खतियान गलत एवं अवैधानिक है तथा विवादी भूमि में रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी का आधा हिस्सा है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में अपीलार्थी/वादी के दावों का विरोध करते हुए यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी एवं रेस्पोण्डेन्ट एक ही हिन्दु परिवार से संबंध रखते हैं वो मौजा–खारा, थाना नं०–61, अंचल+थाना–उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा अंतर्गत नया खाता सं०–438, नया खेसरा सं०–1560 रकवा–08 डी० की भूमि अपीलार्थी एवं रेस्पोण्डेन्ट के संयुक्त परिवार की बासडीह की भूमि है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि हाल सर्वे पर्चा (रैयति खतियान) दोनों भाई नागेश्वर झा एवं कपिलेश्वर झा के नाम से था यह साबित करता है कि विवादी भूमि दोनों भाईयों के संयुक्त दखल में थी वो प्रत्येक का 1/2 हिस्सा है वो विवादी प्रश्नगत् भूमि संयुक्त दखल की भूमि है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि संयुक्त परिवार में सबसे बड़े भाई होने के कारण अपीलार्थी के पिता नागेश्वर झा के नाम से हाल सर्वे में फाईनल खतियान का प्रकाशन हुआ।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा द०प्र०सं० की धारा 144 अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के न्यायालय में विविध वाद सं०–68/2000 दाखिल किया गया था जिसमें दोनों पक्षों का संयुक्त दखल पाया गया वो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक: 24.03.2000 में अपीलार्थी को व्यवहार न्यायालय में टाईटिल सूट दायर करने का निदेश दिया गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज के न्यायालय में भ्रामक तथ्यों के आधार पर वाद दायर किया गया।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के वाद में स्वत्व के संलिस्ट प्रश्नों के निर्धारण (complex question of Adjudication of title) निहित है जिसका निराकरण केवल सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

रेस्पोण्डेन्ट द्वारा अपने दावों के समर्थन में रैयती पर्चा खेसरा सं0—1560 / 1002 की छायाप्रति ,अंतिम खतियान (खाता सं0—105 एवं 438) एवं अनुमंडल पदाधिकारी,उदाकिशुनगंज का आदेश की छाया प्रति दाखिल किए है ।

उभय पक्षों को सुनने एव अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में यह मुख्य रूप से एक ही वंशज के बारिसान है एवं इस संबध में दखल कब्जा के आधार पर वाद सं0 68 / 2000 में अनुमंडल दंडाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा मामले का समाधान कर दिया गया । अतः ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनने के उपरांत तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया है । केवल यदि वारिसानों के बीच बँटबार के लिए विवाद है तो वे सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है ।

अतःनिम्न न्यायालय आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही है। निम्न न्यायालय के आदेश स्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा